बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय

पत्र सं0:– क0/योजना–02/2024– /पटना दिनांक–

प्रेषक,

आलोक कुमार
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

सेवा में,

महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी)
वीर चंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय :– सोन कमाण्ड क्षेत्र विकास एजेंसी, पटना हेतु कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत दुर्गावती कैड योजना के कार्य मद में उपलब्ध कराये गये राशि में से केन्द्रांश की शेष बचे राशि रू0 1259.72 लाख जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के संचित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा करने के संबंध में।

प्रसंग :– जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक–P-19016/1/2023-O/o SJC(SPR-I)-MOWR, Dated–14.11.2023 एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–F.No. 1(11)/PFMS/2022 दिनांक–01.11.2023.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत दुर्गावती कैड योजना के कार्य मद में वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2017–18 तक कुल रू0 11910.72 लाख राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि सम्मिलित था एवं उक्त राशि को कोषागार से निकासी भी कर ली गयी थी। वित्तीय वर्ष 2015–16 से वित्तीय वर्ष 2018–19 तक जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कुल रू0 4072.67 लाख का केन्द्रीय सहायता हेतु आवंटन उपलब्ध कराया गया था, जिसकी व्यय निर्धारित दर एवं भौतिक प्रगति के अनुसार किये जाने का प्रावधान था।

दुर्गावती कैड योजना के कार्य मद में अबतक (वित्तीय वर्ष 2023–24) कुल 7468.70 लाख का व्यय किया गया है, जिसमें केन्द्रांश की राशि रू0 2812.95 लाख एवं राज्यांश की राशि रू0 4655.75 लाख है। इस प्रकार केन्द्रांश के शेष बचे राशि (रू0 4072.67 लाख – रू0 2812.95 लाख) रू0 1259.72 लाख है, तद्पश्चात शेष बचे राशि रू0 1259.72 लाख भारत सरकार के संचित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा करने का निदेश प्राप्त है।

दुर्गावती कैड योजना के कार्य मद में शेष बचे राशि कुल रू0 5031.17637 लाख जो PLA–282 के Ledger - 1106 में उपलब्ध था, जिसे वित्त विभाग द्वारा Auto Surrender कर राज्य के समेकित निधि में है।

2. प्रासंगिक पत्र के निदेश के आलोक में अनुरोध है कि जल प्रबंधन कार्यक्रम अंतर्गत दुर्गावती योजना हेतु उपलब्ध करायी गई केन्द्रीय सहायता की राशि से व्यय के पश्चात् शेष बचे राशि रू0 1259.72 लाख (बारह करोड़ उनसठ लाख बहत्तर हजार) भारत सरकार के संचित निधि (Consolidated Fund of India) में जमा करने की कृपा की जाय।

3. प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार सरकार की सहमति प्राप्त है।

ह0/–
(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

कृ0पृ0उ0......

ज्ञाप सं0:– क0/योजना–02/2024– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचंद पटेल मार्ग, पटना/संयुक्त सचिव–सह–बजट पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

ज्ञाप सं0:– क0/योजना–02/2024– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, पटना/निदेशक (मुख्य अभियंता), जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना/अधीक्षण अभियंता, कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

ज्ञाप सं0:– क0/योजना–02/2024– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–Senior Joint Commissioner (SPR-1) Govt. of India, Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources- RD & GR (SPR Wing), Room No – 108, B-Wing, Shastri Bhawan, New Delhi - 110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।

ज्ञाप सं0:– क0/योजना–02/2024– 74 /पटना, दिनांक– 05/03/2025

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/03/25

(आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।